माननीय माता-पिता/गार्जियनः

__________________________________ स्कूल पाठकों को हर स्कूल दिन कई प्रकार के पौषणिक भोजन देता है। बच्चे दोपहर का खाना __________ में और सुबह का नाश्ता __________ में खरीद सकते हैं। जो बच्चे अम्रीकी कृषि विभाग के मार्गदर्शकों के अंतर्गत उपयुक्त समझे गए हैं, उन्हें भोजन या तो मुफ़्त, या कम दाम पर, यानी दोपहर का खाना _________ में और सुबह का नाश्ता __________ में मिल सकता है। हर भोजन को अम्रीकी कृषि विभाग द्वारा स्थापित आहार मानकों के अनुकूल होना आवश्यक है। अगर किसी डॉक्टर के अनुसार बच्चे को कोई अशक्तता है, और इस अशक्तता के कारण वो नियमित स्कूल भोजन नहीं खा सकता, तो डॉक्टर द्वारा बताया गया अन्य भोजन उसे दिया जाएगा। अगर इस कारण भोजन बदलने की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए अलग से पैसे नहीं लगेंगे। कृपया ध्यान दें कि किसी खाने से एलर्जी होने के कारण स्कूल को उसकी जगह कोई दूसरा खाना देने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि ऐसी एलर्जी अशक्तता की परिभाषा में सम्मिलित नहीं हो। अधिक जानकारी हेतु स्कूल से सम्पर्क करें।

अगर आपको फूड स्टैम्प, TANF या FDPIR के अंतर्गत भत्ते मिलते हों तो आपके बच्चे को मुफ़्त में स्कूल का भोजन मिल सकता है। अगर आपकी कुल पारिवारिक आमदनी आय-चार्ट में बताई गई आमदनी के समान या इससे कम है, तो आपके बच्चे को या तो मुफ़्त में या कम दाम पर भोजन मिल सकता है।

मैं अपने बच्चे को मुफ़्त में या कम दाम पर स्कूल में भोजन कैसे दिला सकता हूँ? भोजन पाने के फार्म को भरके इसे स्कूल को लौटा दें।

- ***जिन परिवारों को फूड स्टैम्प, TANF या FDPIR मिलता हो।*** आपको केवल अपने बच्चे का नाम और केस नम्बर देना होगा, और परिवार के किसी वयस्क को फार्म पर दस्तखवत करना होगा।
- ***जिन परिवारों को फूड स्टैम्प, TANF या FDPIR नहीं मिलता हो।*** अगर आपका केस नम्बर न हो, तो आपको अपने परिवार के हर सदस्य का नाम, पिछले महीने हर सदस्य की आय और इसका स्रोत सम्मिलित करना होगा। परिवार के किसी वयस्क को फार्म सही करके अपना सोशल सिक्युरिटी नम्बर देना पड़ेगा, या बताना पड़ेगा कि उसका कोई सोशल सिक्युरिटी नम्बर नहीं है।
- ***फ़ॉस्टर बच्चों वाले परिवार।*** बच्चे का नाम, और पिछले महीने बच्चे को "व्यक्तिगत प्रयोग" हेतु क्या रकम मिली; किसी वयस्क को फार्म सही करना पड़ेगा।

क्या फार्म की पुष्टि की जाती है? स्कूल वर्ष के किसी भी समय आपकी पात्रता जाँच की जा सकती है। यह मुमकिन है कि स्कूल के अधिकारी आपसे कोई लिखित सबूत माँगे जिससे यह साबित हो सके कि आपके बच्चे को मुफ़्त या कम दाम पर भोजन मिलना चाहिये।

क्या मैं स्कूल के निर्णय को अपील कर सकता हूँ? अगर आप फार्म के मामले में स्कूल के निर्णय से सहमत न हों तो आप स्कूल अधिकारियों से बात-चीत कर सकते हैं। आप लिखित या कहित में निम्न से न्यायसंगत सुनवाई की माँग भी कर सकते हैं:

____ टेलिफ़ोनः __________________________

पताः ____

क्या किसी परिवर्तन के बारे में स्कूल को सूचित करना ज़रूरी है? अगर आपकी आमदनी की वजह से आपके बच्चे को मुफ़्त या कम दाम पर भोजन मिल रहा है, और आपकी मासिक पारिवारिक आमदनी $50 ($600 वार्षिक) से अधिक बढ़ गई या अगर

आपके परिवार की संख्या घट गई, तो हमें सूचित करना आवश्यक है। अगर आपके बच्चे को मुफ़्त या कम दाम पर इसलिए भोजन मिल रहा है क्योंकि आपके परिवार को फूड स्टैम्प, TANF या FDPIR मिलता है, और अगर ये लाभ बंद हो जाएँ तो हमें सूचित करना आवश्यक है।

क्या मेरे फार्म की सूचनाओं को गोपनीय रखा जाएगा? आपके फार्म पर प्रस्तुत सूचनाओं को हम केवल मुफ़्त या कम दाम के भोजन के मामले में निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यह हो सकता हे कि हम अन्य बाल आहार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा कार्यक्रमों के अधिकारियों को भी आपके फार्म की सूचना दें ताकि बच्चे को इन कार्यक्रमों के भी लाभ मिल सकें, या निधिकरण अथवा/एवं मूल्यांकन हो सके।

क्या में बाद में भी मुफ़्त या कम दाम के भोजन का निवेदन कर सकता हूँ? आप स्कूल वर्ष के किसी भी समय मुफ़्त या कम दाम के भोजन के लिए निवेदन कर सकते हैं। अगर इस वक्त आपकी पात्रता स्वीकार नहीं हुई, पर आगे चलकर आपकी आमदानी घट गई, या आप बेरोज़गार हो गए, या आपके परिवार की संख्या बढ़ गई या आपको फूड स्टैम्प, TANF या FDPIR मिलने लगा, तो आप उस समय फिर से फार्म भर सकते हैं।

हम आपको जल्द ही बता देंगे कि आपका निवेदन स्वीकार या मना कर दिया गया।

आपका,